निगरानी नगरपालिका अधिनियम, 2009 प्रकरण सं0 01/2011 (RCMS No. 2011/00010) अनवानी नगरपालिका, केसरीसिंहपुर, जिला श्रीगंगानगर जरिये श्री चन्द्रपाल पुत्र श्री प्यारेलाल, आयु लगभग 56 वर्ष, अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, केसरीसिंहपुर **बनाम नरेश कुमार पुत्र श्री ताराचन्द** जाति अरोड़ा निवासी वार्ड संख्या 5, केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.08.2019

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री मोहन लाल छाबड़ा एव अप्राथा के अधिवक्ता श्री रामप्रकाश गुप्ता उपस्थित है। अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री रामप्रकाश गुप्ता द्वारा स्वायत्त शासन विभाग राजास्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प.8(ग)()नियम/डीएलबी /15/5843 दिनांक 10.06.2016 की प्रति पेश करते हुए प्रार्थना की है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थी नगरपालिका, केसरीसिंहपुर द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 80(2) के अन्तर्गत के अन्तर्गत नरेश कुमार पुत्र ताराचन्द को आवंटित प्लाट संख्या 153 द्वारा प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 23.01.1992, पैमायशी 25 फीट गुणा 45 फीट व जमा राशि 08.01.1996 एवं लीज डीड दिनांकित 04.06.1994 के आदेश को निरस्त करवाने हेतु पेश की थी और अब चूंकि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 80(2) (राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73(2)) के अन्तर्गत के प्रकरणों की सुनवाई एवं निस्तारण हेतु प्रत्येक संभाग के संभागीय आयुक्त को दिनांक 10.06.2016 की उक्त अधिसूचना द्वारा शक्तियां दी जा चुकी है इसलिए इस न्यायालय को उक्त प्रकरण में सुनवाई कर निस्तारण करने का अब कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः उनके द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी सक्षम ऑथोरिटी के समक्ष पेश करने के लिए लौटाई जाये। प्रार्थी के अधिवक्ता को भी उक्त अधिसूचना के अनुसार सक्षम ऑथोरिटी के समक्ष पेश करने हेतु लौटाने में कोई आपत्ति नहीं है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी नगरपालिका, केसरीसिंहपुर ने उक्त निगरानी दिनांक 01.02.2011 को इस न्यायालय में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 80(2) एवं नया राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73(2) के तहत पेश की थी और अप्रार्थी नरेश कुमार पत्र ताराचन्द को आवंटित प्लाट संख्या 153 द्वारा प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 23.01.1992, पैमायशी 25 फीट गुणा 45 फीट व जमा राशि 08.01.1996 एवं लीज डीड दिनांकित 04.06.1994 के आदेश **को निरस्त करने की प्रार्थना की थी।** पूर्व में उक्त धारा 73(2) के तहत कार्यवाही करने के लिए निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता अर्थात जिला कलक्टर को शक्तियां थी किन्तु राज्य सरकार की उक्त **अधिसूचना दिनांक 10.06.2016 से ये शक्तियां प्रत्येक संभाग के संभागीय आयुक्त को दे दी गई है।** इसलिए अब इस प्रकरण में सुनवाई एवं निस्तारण करने की अधिकारिता निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को नहीं रहती है। इसलिए उक्त प्रकरण को सक्षम ऑथोरिटी / न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए लौटाया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त **निगरानी नगरपालिका, केसरीसिंहपुर बनाम ठाकर दास पुत्र रतनलाल को सक्षम ऑथोरिटी के समक्ष पेश करने हेतु उक्त निगरानी उसे लौटाई जाती है।** इस आश्य का नोट मूल निगरानी पर अंकित कर दिया जावे। **नगरपालिका केसरीसिंहपुर को उनकी पत्रावली श्री नरेश कुमार पुत्र श्री ताराचन्द प्लॉट नं 153 रिफ्यूजी कॉलोनी, फरीदसर मय इस न्यायालय के आदेश की प्रति भेजी जावे।** पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर